

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी३/१, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन रेल्वे फाटक के पास, जयपुर 302005

क्रमांक:- एफ 1(7)(01098)डीपीसी/सान्याअवि/2024/ 99506

जयपुर, दिनांक:- 20.02.2024

—:: आदेश ::—

कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 16.03.2023 की पालना में पदोन्नतियां रिव्यू किये जाने हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 19.02.2024 को आयोजित की गई।

कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 16.03.2023 द्वारा ऐसे कार्मिक जिनके दिनांक 01.06.2002 को या इसके पश्चात् 02 से अधिक संतान होने के कारण उसे पदोन्नति से वंचित किया गया था, की पदोन्नति के लिए उस तारीख से, जिसको उसकी पदोन्नति देय हो गई थी, विचार किये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया है कि इस नियम की क्रियान्वयन के लिए पहले से पदोन्नत किसी भी व्यक्ति का पदावनत नहीं किया जायेगा। इसी क्रम में परिपत्र दिनांक 24.05.2023 द्वारा स्पष्टीकरण जारी किया गया कि इस नियम के अनुसार पदोन्नत व्यक्ति की पश्चातवर्ती पदोन्नतियों पर कोई पारिणामिक प्रभाव नहीं पड़ेगा और पहले से ही पदोन्नत व्यक्ति को इस नियम के क्रियान्वयन के कारण प्रतिवर्तित (Demote) नहीं किया जायेगा। जिन कार्मिकों को नियमानुसार तत्समय दो से अधिक संतान होने के कारण नियत तिथि को पदोन्नति से वंचित कर दिया गया था, उन्हें इस अधिसूचना के क्रम में अब नियत तिथि से पदोन्नति देने की कार्यवाही की जायेगी एवं आवश्यकता होने पर विभागों द्वारा प्रथमतः वित्त विभाग से उनके लिए छाया पद स्वीकृत करवाना होगा।

उक्तानुसार पदोन्नति दिये जाने हेतु वित्त विभाग की सहमति के अनुसार विभागीय आदेश क्रमांक 80765 दिनांक 01.01.2024 द्वारा छाया पद स्वीकृत किये गये हैं तथा कार्मिक विभाग द्वारा उनकी आंतरिक पत्रावली संख्या F. 21(2)DOP/A-2/ 2024(5)-15433 पर परीक्षण कर दिनांक 01.02.2024 को अधिसूचना दिनांक 16.03.2023 की पालना में पदोन्नतियां रिव्यू किये जाने की सहमति प्रदान की गई है।

कार्मिक विभाग की अधिसूचना, परिपत्रों तथा पदोन्नति रिव्यू के लिए दी गई सहमति के अनुसरण में 2022-23 की पदोन्नतियों को रिव्यू कर समिति की अनुशंसा के आधार पर निम्नानुसार कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख अंकित वर्ष तथा दिनांक से सहायक

RajKaj Ref
5854383

प्रशासनिक अधिकारी (पे लेवल-10) से अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी (पे लेवल-11) पर पदोन्नति दी जाती है :-

क्र.सं.	कार्मिक का नाम	वर्ग	वर्ष	पदोन्नति दिनांक
1.	श्री बनवारीलाल शर्मा	UR	2022-23	01.04.2022

पदोन्नत कार्मिक वर्तमान पदस्थापित स्थान पर ही कार्यभार ग्रहण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, इनको पदोन्नति का वास्तविक नकद लाभ कार्यभार ग्रहण दिनांक से देय होगा। पदोन्नत कार्मिक के पदस्थापन आदेश पृथक् से जारी किये जायेंगे।

(जगजीत सिंह मोंगा)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ 1(7)(01098)डीपीसी/सान्याअवि/2024/99507-517 जयपुर, दिनांक:- 28.02.2024
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज0, जयपुर।
2. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज0, जयपुर।
3. निजी सचिव, सचिव/आयुक्त/निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/बाल अधिकारिता विभाग/विशेष योग्यजन विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक (सत0 एवं प्रशा0), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
5. उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/अधीक्षक/बाल अधिकारिता/विशेष योग्यजन, ।
6. संस्थापन प्रशाखा (पी-3/4) मुख्यावास को आवश्यक कार्यवाही हेतु/एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उप निदेशक) को ई-मेल/वेबसाइट पर अपलोड करवाने हेतु।
7. संबंधित श्री/श्रीमती द्वारा उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी/अधीक्षक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/बाल अधिकारिता/विशेष योग्यजन, ।
8. व्यक्तिगत पत्रावली श्री/श्रीमती ।
9. आदेश पत्रावली ।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

RajKaj Ref
5854383

Document certified by JAGJEET SINGH
MONGA <jsm_ras@yahoo.com>.

Digitally Signed by JAGJEET
SINGH MONGA
Designation: Director
Date :28-02-2024 05:58:30